

**कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन**  
**सतपुड़ा भवन भोपाल-462004**

क्रमांक-2606 / 180 / बजट / 2018  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/12/2018

आहरण एवं संवितरण अधिकारी /  
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा, (नीचे दर्शाये अनुसार)  
मध्यप्रदेश

**विषय:-** आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों हेतु बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित आहरण संवितरण अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन स्वीकृत किया जाता है :- (राशि लाख में)

क्र	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44-2202-03-001-0101-3443	आवंटित राशि
1	आहरण संवितरण अधिकारी (केशब्रांच) कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल	376/08/ केशब्रांच/ दि.10.12.18	3443-22-001 डाकतार 3443-22-008 अन्य आकस्मिक व्यय 3443-22-009 पेट्रोल 44-2202-03-102-0101-5551-42-007	1.45 0.70 3.00 3.74
2	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा	2617/ 30.11.18	3443-22-007 स्टेशनरी 3443-22-008 अन्य आकस्मिक व्यय	0.25 0.15
3	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर संभाग सागर	2233/ 13.11.18	3443-11-025 संविदा कर्म. का पारिश्रमिक	1.20
4	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर संभाग ग्वालियर	4497/19. 12.18	3443-22-007 स्टेशनरी 3443-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	0.25 0.30
	योग			11.04

(2) उक्त राशि का आहरण उपरोक्तानुसार उल्लेखित बजट शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा।

(3) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारियों के अंतर्गत, अद्यतन MOPRO भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।


(5) कय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

(6) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(7) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।


“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

  
अपर संचालक शिक्षा  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक- 22/12/2018

पृ0क0-2667 / 180 / बजट / 2018

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, भण्डार प्रकोष्ठ कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
4. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

  
अपर संचालक शिक्षा  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
